आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

बुधवार, **23.03.2011** को प्रात: **10.30** बजे
शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम,
क्राफ्ट्स विलेज, हाईटेक सिटी के पास,
मादापुर, हैदराबाद – 500 081

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Wednesday, 23.03.2011 at 10.30 AM
at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village,
Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad - 500 081

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची
CONTENTS

	पृष्ठ संख्या Page No.
सूचना	2
NOTICE	3
सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ	4
NOTES TO NOTICE	5
प्राक्सी फार्म	8
PROXY FORM	9
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	12
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS	13

प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
शेयरधारक एवं निदेशक शिकायत कक्ष : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22, भूतल 5, पी डीनेलो रोड, घड़ियाल गोदी, मुम्बई – 400 009.

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Share Holders & Investor Grievances Cell : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS Limited, Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22, Ground Floor 5, P.D'Mello Road, Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

एतत् द्वारा सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण साधारण बैठक बुधवार 23 मार्च, 2011 को 10.30 बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट विलेज, हाइ-टेक सिटी के पास, मादापूर, हैदराबाद - 500 081 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी.

निम्नलिखित विशेष संकल्प पर विचार करने और यदि उचित पाया गया, आशोधन के साथ या बिना आशोधन पारित करना:

"संकल्प किया गया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और आन्ध्रा बैंक(शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के और समय-समय पर यथा संशाधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई), भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सम्मति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे निदेशक मंडल सहमत हों, की शर्त पर, और सेबी(पूंजी और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम,2009) और भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है, जिससे यह माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम सिमति शामिल है) को ₹ 618 करोड़ सकल मूल्य तक पूँजी जुटाने हेतु ₹10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों को भारत सरकार को ऐसे निर्गम मूल्य पर, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा, सृजन, आफर, निर्गम और आबंटन करने हेतु शेयरधारकों की सम्मति दी जाए और एतत् द्वारा प्रदान जाती है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य तय करने हेतु संगत तारीख 21.02.2011 है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को प्रस्ताव में भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ शेयर बाजार, जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारी द्वारा इनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण के समय अपना अनुमोदन, सम्मति, अनुमति और मंजूरी प्रदान करते समय यथापेक्षित या लागू किए गए और बोर्ड द्वारा यथा सहमत आशोधन स्वीकारने का प्राधिकार और शक्ति उपलब्ध होगा।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त निर्गम किए जाने वाले ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शयरों के समरूप होंगे और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, हेतु ऐसे लाभांश की घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र होंगे।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड को एसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतत् द्वारा प्रदान किया जाता है, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप लेने और ऐसे सभी आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से आगे सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इससे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकार एतत् द्वारा प्रदान किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 23.02.2011

आर. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank will be held at SHILPAKALA VEDIKA, SHILPARAMAM, CRAFTS VILLAGE, NEAR HI-TECH CITY, MADHAPUR, HYDERABAD-500 081, on WEDNESDAY, the 23rd MARCH 2011, at 10.30 A.M. to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification the following Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI (ICDR) Regulations, 2009) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting on preferential basis to Government of India, such number of equity shares of face value of Rs.10/- each for cash at such price including premium as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, and aggregating to Rs. 618 Crore.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 21.02.2011.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director / Executive Director in the absence of the Chairman and Managing Director to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

Place: Hyderabad
Dated: 23.02.2011

R RAMACHANDRAN
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

टिप्पणियां:

1. बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला वर्णनात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. **प्राक्सी की नियुक्ति**

 बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा वोट करने हेतु प्राक्सी को नियुक्त कर सकता/सकती है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्राक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि 18 मार्च 2011 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, तक या इससे पहले हैदराबाद स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में यह प्राप्त होना चाहिए।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

 कंपनी या निकाय निगम, जो बैंक का शेयरधारक हो, के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को बैठक में भाग लेने या वोट देने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक उस संकल्प, जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, की प्रतिलिपि, जिसके सही प्रति होने के संबंध में इसके पारित किए जाने की बैठक के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि 18 मार्च 2011 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, तक या इससे पहले हैदराबाद स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में यह प्राप्त होना चाहिए।

4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास:**

 शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची भरकर एवं उसमें दिए गए खाली स्थान पर हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा कर दें। प्राक्सी/प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक पर प्राक्सी या प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें।

अध्याय XIII(सेबी आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार अपेक्षित वर्णनात्मक वियरण और प्रकटन

क) <u>अधिमानी निर्गम के उद्देश्य</u>

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात(सीआरएआर) बनाए रखे जाना अपेक्षित है और बैंकों को कम से कम 6 प्रतिशत टायर-I सीआरएआर बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। दिसंबर 2010 के वित्तीय आंकड़ों की सीमित समीक्षा के अनुसार, हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12% रहा जिसमें से टायर-I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.06% रहा। 31 मार्च,2010 के परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार हमारा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.93% था, जिसमें से टायर-I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8.18% रहा।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षा यह है कि बैंकों में सुदृढ जोखिम प्रबंधन प्रणाली हो, जिसे वैश्विक पूंजी मानकों के अनुपालन में पूंजी पर्याप्तता में मापा जाता है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति के अनुरूप बैंकों के व्यापार स्तर में वृद्धि लाने हेतु, बैंकों के पूंजी स्तर को निरंतर बढाने की आवश्यकता है।
3. बढते व्यापार स्तरों के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंक द्वारा भारत सरकार से ईक्विटी पूंजी जुटाते हुए टायर-I पूंजी को बढाने का प्रस्ताव है।

ख) पूरा निर्गम बैंक का प्रवृतक, भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया जाएगा.

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Head Office at Hyderabad not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the bank at 5 P.M. on Friday, the **18th March, 2011**.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the bank at 5 P.M. on Friday, the **18th March, 2011.**

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter XIII SEBI (ICDR) Regulations, 2009

a) Objects of the Preferential Issue:

1. In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India, Banks are required to maintain a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 percent on an ongoing basis and Banks are encouraged to maintain a Tier-I CRAR of atleast 6 percent. As per the financials subjected to limited review as at December 2010, our total Capital Adequacy Ratio was 12%, out of which Tier I Capital Adequacy Ratio was 7.06%. As per our audited financial statements as at 31st March 2010, our total Capital Adequacy Ratio was 13.93%, out of which Tier I Capital Adequacy Ratio was 8.18%.

2. The Reserve Bank of India requires Banks to have robust risk management systems in place, which is measured in terms of Capital Adequacy in compliance with global capital standards. Growth in the business levels of banks in tune with the growth of the economy, entail an ever increasing need to augment their capital levels.

3. With the objective of meeting the future capital requirements arising out of the growing business levels, the Bank proposes to shore up Tier I Capital, by raising equity capital from the Government of India.

b) The entire issue will be subscribed by the Government of India – the Promoter of the Bank.

ग) निर्गम के पूर्व और निर्गम के पश्चात् शेयर धारण का स्वरूप

क्र.संख्या	श्रेणी	निर्गम के पहले (18.02.2011)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण की प्रतिशतता
क.	**प्रवर्तक के धारण**				
1.	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	250000000	51.5463	289292980	55.1777
	विदेशी प्रवर्तक	--	--		
2.	**समूह के रूप में कार्यरत व्यक्ति**	--	--		
	उप जोड़ (1 और 2)	**250000000**	**51.5463**	**289292980**	**55.1777**
ख.	**गैर-प्रवर्तक धारण**				
3.	**संस्थागत निवेशक**				
क)	म्युचुअल फंड और यूटीआई	4406384	0.9085		
ख)	बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ (केन्द्रीय/राज्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थाएं)	75778466	15.6244		
ग)	विदेशी संस्थागत निवेशक	82033877	16.9142		
	उप जोड़	**162218727**	**33.4471**		
4.	**अन्य**				
क)	निजी कार्पोरेट निकाय	10258676	2.1152		
ख)	भारतीय जनता	59419187	12.2514		
ग)	अनिवासी भारतीय/ओसीबी	1945542	0.4012		
घ)	अन्य कोई	1157868	0.2388		
	उप जोड़	**72781273**	**15.0066**		
	उप जोड़ (3 और 4)	**235000000**	**48.4537**	**235000000**	**44.8223**
	सकल जोड़	**485000000**	**100.00**	**524292980**	**100.00**

घ) सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 में सुझाये अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक यथा संभव प्रयास करेगा.

ङ) चूँकि समूचा निर्गम प्रधान शेयर धारक और बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं है.

निर्गम के पूर्व और निर्गम के पश्चात् भारत सरकार के शेयर धारण का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :

	शेयरों की संख्या	**पूँजी का प्रतिशत**
निर्गम से पहले	**25,00,00,000**	**51.5463**
निर्गम के बाद	**28,92,92,980**	**55.1777**

च) बैंक के पूँजी शेयर 6 महीने से अधिक समय से पहले लिस्ट किये गये हैं अतएव सेवी आईसीडीआर के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं.

छ) भारत सरकार को निर्गमित और आबंटित सभी शेयर, आबंटन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक किये जाएंगे

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र, कि यह निर्गम इन विनियमनों के अनुसार ही जारी किया गया है, असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा.

भारत सरकार के सभी शेयर डी मेटीरियलाइजड मोड में रहेंगे. बैंक के शेयर जिन शेयर बाजार केन्द्रों में लिस्ट किये गये हैं, उनके साथ किये गये लिस्टिंग करार में निर्धारित अनुसार बैंक पूँजी शेयरों के अनवरत लिस्टिंग के शर्तों के अनुपालन करेगा. संबद्ध तिथि से तीन महीने पूर्व अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक के शेयरों की बिक्री नहीं की.

इस संकल्प से बैंक का कोई भी निदेशक संबंध या रूचि रखता है.

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 23.02.2011

आर. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

c) Shareholding Pattern before and after the Issue :

Sl. No.	Category	Before the Issue (as on 18.02.2011)		After the issue	
		No.of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding**				
1	**Promoters**				
	Government of India	**250000000**	**51.5463**	**289292980**	**55.1777**
	Foreign promoters	-	-	-	-
2	**Persons acting in concert**	-	-	-	-
	Sub Total of (1 & 2)	**250000000**	**51.5463**	**289292980**	**55.1777**
B	**Non–Promoter Holding**				
3	**Institutional Investors**			}	
a	Mutual Funds and UTI	4406384	0.9085	}	
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt.Institutions/ Non-Govt. Institutions)	75778466	15.6244	}	
c.	FIIs	82033877	16.9142	}	
	Sub Total	**162218727**	**33.4471**	}	
4	**Others**			}	
a	Private Corporate Bodies	10258676	2.1152	}	
b	Indian Public	59419187	12.2514	}	
c	NRIs/OCBs	1945542	0.4012	}	
d	Any Other	1157868	0.2388	}	
	Sub Total	**72781273**	**15.0066**	}	
	Sub Total of (3) and (4)	**235000000**	**48.4537**	**235000000**	**44.8223**
	Grand Total	**485000000**	**100.00**	**524292980**	**100.00**

d) The Bank shall endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under :

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue	**25,00,00,000**	**51.5463**
Post Issue	**28,92,92,980**	**55.1777**

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

g) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

Place : Hyderabad **R RAMACHANDRAN**

Date : 23.02.2011 **CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR**

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद- 500 004

प्रोक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना हैं)

पंजीकृत फोलियों नं	
(यदि अमूर्त नही किया हो)	
डीपीआई एवं ग्राहक आईडी	
(यदि अमूर्त किया हो)	

मैं/हम _____ निवासी

_____ जिला _____

राज्य _____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतत-द्वारा

श्री/ श्रीमती _____

निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ या इनके न आने पर श्री/श्रीमती

_____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारको बुधवार, **23.03.2011** को प्रात: **10.30** बजे शिल्प कला वेदिक,ख शिल्पारापप, काफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद 500 081 में होने वाली असाधारण आम बैठक और उसके स्थगन की अैठक में मेंरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।

कृपया ₹ 1 का राजस्व स्टँप लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio	
(If not dematerialised)	
DP ID & Client ID	
(If dematerialised)	

I / We _____ resident(s) of _____

in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholder(s) of Andhra Bank, Hyderabad, hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ OR failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on **23.03.2011 at 10.30 A.M.** at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad-500 081, and at any adjournment thereof.

Pl. Affix Revenue Stamp Re.1/-

Signed this _____ day of _____ 2011.

_____ _____

Signature of Proxy Signature of First named / Sole Shareholder

Name: _____

Address: _____

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश

1. प्राक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि,

 ए) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

 बी) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

 सी) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों। किसी कारणवश वे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

3. प्राक्सी के साथ

 क) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,

 बी) नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, आन्ध्रा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदरबाद 500 004 में असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि 18 मार्च 2011 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, को या इससे पहले जमा किया जाए.

4. कोई प्राक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो.
 1. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.
 2. वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.
 3. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.
 4. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless

 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,

 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,

 c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

3. The proxy together with

 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or

 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Merchant Banking Division, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the bank at 5 P.M. on Friday, the **18th March, 2011.**

4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.

 a) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

 b) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

 c) The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

 d) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद** - 500 004.

उपस्थिति पर्ची

(वेदिका में प्रवेश करते समय सुपुर्द करना है)

दिनांक : 23.03.2011

समय : 10.30A.M

स्थान : शिल्पकला वेदिका, क्राफ्ट्स विलेज, हाई–टेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081

मैं एतत् द्वारा बैंक के असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्राक्सी/ पतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डी पी आई डी	
		ग्राहक आई डी	
(यदि अमूर्त नहीं हो)		(यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद** - 500 004.

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/प्राक्सी/ पतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डी पी आई डी	
		ग्राहक आई डी	
(यदि अमूर्त नहीं हो)		(यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारकों/ शेयरधारक के प्राक्सी या पाधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है की बैठक स्थल में हंतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पुजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षार के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर हैं। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 23.03.2011

Time : 10.30 A.M

Place: Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad - 500 081

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialized)		(If dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

.....

Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialized)		(If dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under any circumstances, no duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.

बुक पोस्ट/ यु.सी.पी.

BOOK POST / U.C.P.

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो निम्न को वापस करे:

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड,

काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22

भूतल 5, पी डीमेलो रोड,

घडियाल गोदी, मुम्बई – 400009

Ph. No. : 022-23726253/54/55

E-mail ID : mcspanvel@yahoo.co.in

If Undelivered, Please return to:

M/s. MCS Limited,

Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22,

Ground Floor 5, P.D'Mello Road,

Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.

Ph. No. : 022-23726253/54/55

E-mail ID : mcspanvel@yahoo.co.in

आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

YS HITECH (040) 23074496/3640